न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10 / 2024 (बांसवाड़ा आर्डर)

मनोहरसिंह राणावत पिता श्री सूर्यसिंह राणावत, जाति राजपूत, निवासी गनोड़ा, तहसील गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. अतीत पण्डया पिता श्री हरिशचन्द्र पण्डया, जाति ब्राहमण, निवासी पुराना बस स्टैण्ड गनोड़ा, हाल निवासी आर.के. पुरम, गिरजा व्यास पेट्रोल पम्प के पीछे, तितरड़ी, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
आदेश उपखण्ड अधिकारी, गनोड़ा
दिनांक 18.10.2024 क्रमांक 478-83

———/———

उपस्थित :– 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री हिरन पटेल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1

———::———

निर्णय **दिनांक 25–03–2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अवैध बेचान को रूकवाने एवं पीडित परिवार को न्याय दिलाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैंने 1962 में जसवन्तलाल व्यास से मकान बनाने हेतु जमीन खरीदी थी, जिस पर मैंने वर्ष 1962 में ही मकान बना लिया था आगे आंगन की जमीन रोड़ सीमा में है इसलिए मैंने मकान में मुख्य दरवाजा लगाकर इस जमीन को आंगन के रूप में विगत 62 वर्षो से उपयोग करता आ रहा हूं। आज मुझे पता चला कि आंगन की जमीन श्रीमती विध्यागोरी पत्नी शांतिलाल पण्ड्या जो की रोड़ सीमा में है उसका बेचान कर दिया। अतः उक्त बेचान रद्द किया जाकर पीडित परिवार को न्याय दिलाया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार गनोड़ा से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई तथा रिपोर्ट के आधार पर आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:56 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 18—10—2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 12—11—2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हिरन पटेल उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपील के साथ धारा 96 जा.दी. एवं आदेश 41 नियम 2 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी न्यायोचित आधार के अपीलान्ट को बिना सुने अपीलान्ट के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में से रास्ता देते हुए बाउण्ड्रीवॉल का गेट हटाने का आदेश पारित कर दिया, जो विधि के प्रतिकूल है तथा उक्त आदेश से अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तथा वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। विवादित आराजी नंबर 2609 रकबा 0.0600 हैक्टर भूमि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01—10—2024 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्रीमती विद्या गौरी से क्रय किया जाना प्रस्तुत विक्रय पत्र से स्पष्ट है। तद्नुसार अपीलान्ट प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये व बिना सुने उसकी खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जाकर उस पर निर्मित बाउण्ड्रीवॉल व गेट को हटाने का आदेश दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। रास्ता दिये जाने का प्रावधान धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में है, जबकि इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय ने स्वविवेक से उक्त प्रार्थना पत्र को धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:56 IST
Reason: SelfAttested

का प्रार्थना पत्र मानकर अपीलान्ट को बिना सुने उसकी भूमि से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते बाबत आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह बेचान को रोकने संबंधित था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने स्वविवेक से उक्त प्रार्थना पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के प्रावधानों के अन्तर्गत मानते हुए आराजी नंबर 2609 के खातेदार को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुने उसकी भूमि में से रास्ता दिये जाने एवं उस पर बनी बाउण्ड्रीवॉल व गेट हटाने का आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18–10–2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर तथा प्रकरण में रास्ते बाबत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19–05–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:56 IST
Reason: SelfAttested